

जयपुर विकास प्राधिकरण
26-9-23

26-5

(10)

जयपुर विकास प्राधिकरण				
इन्दिरा राईल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004				
क्रमांक: ज.वि.प्रा./उपा./जोन-14/2023/डी-169 दिनांक: 25.09.2023				
आम सूचना				
निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट https://jda.rajasthan.gov.in एवं जॉन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मध्य दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जॉन कार्यालय में प्रस्तुत करें।				
क्र.सं.	जोन	प्लॉट सं.	प्लॉट/स.स.सि./योजना का नाम	आवेदक
1	वीआरएन (उत्तर-1)	78, 81	शंकर भवन गुजि.रा.स. की योजना विनायक एनक्लेव प्री-होल्ड पट्टे हेतु	श्री वारिस सांगा पुत्र श्री जगदेव सिंह
2	वीआरएन (उत्तर-1)	ई-210, ई-211, ई-212	मुमुक्षु हा.को. ऑपरेटिव सो. लि. की योजना तारा नगर-ई, प्री-होल्ड पट्टे हेतु	श्री दिनेश कुमार चौधरी एच.यू.एच. जरिये कर्ता श्री दिनेश कुमार चौधरी पुत्र श्री गणेश लाल चौधरी
सार्वजनिक नोटिस				
क्रमांक: ज.वि.प्रा./उपा./जोन-14/2023/डी-2378 दिनांक: 24.09.2023				
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी जॉनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम चन्दसाईं तहसील घाकसू के ख.नं. 6885 / 3316 रकबा 0.33 हैक्टर, ख.नं. 2710 / 6676 रकबा 0.05 हैक्टर, कुल किता 02 कुल रकबा 0.38 हैक्टर अर्थात् 3800.00 वर्ग मी. भूमि के खातेदार श्री कृष्ण अवतार गुप्ता पुत्र श्री किशोरी लाल गुप्ता द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जॉन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।				
सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जॉन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।				
सचिव				
सार्वजनिक नोटिस				
क्रमांक: ज.वि.प्रा./उपा./जोन-14/2023/डी-2378 दिनांक: 24.09.2023				
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी जॉनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम चन्दसाईं तहसील घाकसू के ख.नं. 6885 / 3316 रकबा 0.33 हैक्टर, ख.नं. 2710 / 6676 रकबा 0.05 हैक्टर, कुल किता 02 कुल रकबा 0.38 हैक्टर अर्थात् 3800.00 वर्ग मी. भूमि के खातेदार श्री कृष्ण अवतार गुप्ता पुत्र श्री किशोरी लाल गुप्ता द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जॉन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।				
सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जॉन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।				
सचिव				
सार्वजनिक नोटिस				
क्रमांक: ज.वि.प्रा./उपा./जोन-14/2023/डी-2377 दिनांक: 23.09.2023				
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी जॉनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम साखना तहसील सांगानेर के ख.नं. 397 रकबा 0.25 हैक्टर में से 0.1205 हैक्टर, ख.नं. 396 रकबा 0.40 हैक्टर में से 0.1620 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.65 हैक्टर में से 0.2825 हैक्टर अर्थात् 2825.00 वर्ग मी. भूमि के खातेदार मैसर्स गोविन्द कृष्ण इन्फ्रा टेक्स्टर जरिये साखना श्री राजू चौपड़ा पुत्र श्री रामलाल चौपड़ा द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जॉन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।				
सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जॉन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।				
सचिव				
सार्वजनिक नोटिस				
क्रमांक: ज.वि.प्रा./उपा./जोन-14/2023/डी-2381 दिनांक: 24.09.2023				
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 100 फीट चौड़ी जॉनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के ख.नं. 6194 रकबा 0.11 हैक्टर समूह, ख.नं. 6195 रकबा 0.11 हैक्टर में से 0.0724 हैक्टर, ख.नं. 6197 रकबा 1.07 हैक्टर में से 1.0345 हैक्टर, ख.नं. 6198 रकबा 0.22 हैक्टर में से 0.0370 हैक्टर, ख.नं. 6202 रकबा 0.35 हैक्टर में से 0.2115 हैक्टर, ख.नं. 6214 रकबा 0.23 हैक्टर में से 0.1738 हैक्टर, ख.नं. 6215 रकबा 0.20 हैक्टर समूह, ख.नं. 6216 रकबा 0.18 हैक्टर में से 0.1638 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 2.4700 हैक्टर में से 2.0030 हैक्टर अर्थात् 20030.00 वर्ग मी. भूमि के खातेदार श्री मंवरलाल पुत्र लाला जाति बैरवा निवासी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जॉन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।				
सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जॉन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।				
सचिव				
लोक सूचना				
क्र.सं.	जोन	खसरा सं.	ग्राम का नाम	खातेदार
1	10	55, 58, 57	ग्राम-खोरी, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	SHRI JAGDISH NARAYAN MEENA S/O SHRI SITA RAM MEENA
2	11	199	ग्राम-मानपुर टीलावाला, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	श्रीमती कान्ता देवी शर्मा पत्नी श्री शंकर लाल
3	11	897	ग्राम-महासिंहपुरा उर्फ कपूरवाला, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	श्रीमती कान्ता देवी शर्मा पत्नी श्री शंकर लाल
4	14	97 / 1, 98	ग्राम-गोखनपुरा, तहसील-वाकसू, जिला-जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	M/S RIDHI TOWNSHIP PVT. LTD. THROUGH DIRECTOR BUDHI PRAKASH SHARMA S/O SHRI HARSH NARAIN SHARMA
5	12	374, 734 / 375, 736 / 376	ग्राम-श्री रामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	रिमाक केमिकल्स एलएलपी जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री वीप्रिया गुप्ता पुत्र श्री अमन गुप्ता श्री राजू पुत्र श्री बिस्वीचन्द श्री रामचन्द्र पुत्र श्री विस्वीचन्द श्री लल्लुप्रसाद पुत्र श्री विस्वीचन्द, श्री बुद्धिप्रकाश पुत्र श्री धन्ना लाल, श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री धन्नालाल जरिये मु.आम श्री बुद्धिप्रकाश पुत्र श्री धन्नालाल
सचिव				

जयपुर विकास प्राधिकरण				
इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004				
क्रमांक: जविप्र./उपा./जोन-14/2023/डी-189		दिनांक: 25.09.2023		
आम सूचना				
निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट https://jda.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपयुक्त जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें।				
क्र.सं.	जोन	ग.नि.स.स.ति./योजना का नाम	आवेदक	
1	पीआरएन (उत्तर-1)	78, 81 शंकर भवन ग.नि.स.स. की योजना विनायक एनक्लेव, फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	श्री वारिस सांगा पुत्र श्री जगदेव सिंह	
2	पीआरएन (उत्तर-1)	ई-210, ई-211, ई-212 मुमुक्षु अल हाको. ऑपरेटिव सो. ति. की योजना तारा नगर-ई, फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	श्री विनेश कुमार चौधरी एच.यू.एफ. जरिये कर्ता श्री विनेश कुमार चौधरी पुत्र श्री गणेश लाल चौधरी	
सार्वजनिक नोटिस				
क्रमांक: जविप्र./उपा./जोन-14/2023/डी-2379		दिनांक: 24.09.2023		
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम घंटाई तहसील घाकसू के ख.नं. 6885 / 3316 रकबा 0.33 हैक्टर, ख.नं. 2710 / 6876 रकबा 0.05 हैक्टर, कुल किता 02 कुल रकबा 0.38 हैक्टर अर्थात् 3800.00 वर्ग मी. भूमि के खातेदार श्री कृष्ण अवार गुप्ता पुत्र श्री किशोरी लाल गुप्ता द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत सम्पन्न करने हेतु राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, सम्पन्ननामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्पत्ति भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्वयं / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजों आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।				
सचिव				
सार्वजनिक नोटिस				
क्रमांक: जविप्र./उपा./जोन-14/2023/डी-2378		दिनांक: 24.09.2023		
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम घंटाई तहसील घाकसू के ख.नं. 3053 रकबा 0.24 हैक्टर, ख.नं. 3053 / 6328 रकबा 0.23 हैक्टर, ख.नं. 6856 / 3054 रकबा 0.32 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 0.79 हैक्टर में हिस्सा 1/4 रकबा 0.1975 हैक्टर अर्थात् 1975.00 वर्ग मी. भूमि के खातेदार श्री कृष्ण अवार गुप्ता पुत्र श्री किशोरी लाल गुप्ता द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत सम्पन्न करने हेतु राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, सम्पन्ननामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्पत्ति भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्वयं / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजों आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।				
सचिव				
सार्वजनिक नोटिस				
क्रमांक: जविप्र./उपा./जोन-14/2023/डी-2377		दिनांक: 23.09.2023		
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम लाखा तहसील सांगानेर के ख.नं. 397 रकबा 0.25 हैक्टर में से 0.1205 हैक्टर, ख.नं. 396 रकबा 0.40 हैक्टर में से 0.1620 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.65 हैक्टर में से 0.2825 हैक्टर अर्थात् 2825.00 वर्ग मी. भूमि के खातेदार मैसर्स गोविन्द कृपा इन्फ्रा टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लि. राजू चौपड़ा पुत्र श्री रामलाल चौपड़ा द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत सम्पन्न करने हेतु राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, सम्पन्ननामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्पत्ति भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्वयं / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजों आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।				
सचिव				
सार्वजनिक नोटिस				
क्रमांक: जविप्र./उपा./जोन-14/2023/डी-2381		दिनांक: 24.09.2023		
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 100 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम बाटिका तहसील सांगानेर के ख.नं. 6194 रकबा 0.11 हैक्टर सम्पूर्ण, ख.नं. 6195 रकबा 0.11 हैक्टर में से 0.0724 हैक्टर, ख.नं. 6197 रकबा 1.07 हैक्टर में से 1.0345 हैक्टर, ख.नं. 6198 रकबा 0.22 हैक्टर में से 0.0370 हैक्टर, ख.नं. 6202 रकबा 0.35 हैक्टर में से 0.2115 हैक्टर, ख.नं. 6214 रकबा 0.23 हैक्टर में से 0.1738 हैक्टर, ख.नं. 6215 रकबा 0.20 हैक्टर सम्पूर्ण, ख.नं. 6216 रकबा 0.18 हैक्टर में से 0.1638 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 2.4700 हैक्टर में से 2.0030 हैक्टर अर्थात् 20030.00 वर्ग मी. भूमि के खातेदार श्री गंवरलाल पुत्र लाला जाति वैराग निवासी ग्राम बाटिका तहसील सांगानेर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत सम्पन्न करने हेतु राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, सम्पन्ननामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्पत्ति भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्वयं / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजों आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।				
सचिव				
लोक सूचना				
क्र.सं.	जोन	खसरा सं.	ग्राम का नाम	खातेदार
1	10	55, 56, 57	ग्राम-खोरी, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	SHRI JAGDISH NARAYAN MEENA S/O SHRI SITA RAM MEENA
2	11	199	ग्राम-मानपुर, टीलावाला, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	श्रीमती, कान्हा देवी शर्मा पत्नी श्री शंकर लाल
3	11	897	ग्राम-महासिंहपुरा उर्फ कपूरवाला, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	श्रीमती कान्हा देवी शर्मा पत्नी श्री शंकर लाल
4	14	97 / 1, 98	ग्राम-गोखमपुरा, तहसील-वाकसू, जिला-जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	M/S RIDHI TOWNSHIP, PVT. LTD. THROUGH DIRECTOR BUDHI PRAKASH SHARMA S/O SHRI HARSH NARAIN SHARMA
5	12	374, 734 / 375, 736 / 375	ग्राम-श्री रामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	रिचार्ज सेमिकलस एलएलपी जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री श्रीप्रिया गुप्ता पुत्र श्री अमर गुप्ता श्री राजू पुत्र श्री विरूपीचन्द श्री रामलाल पुत्र श्री विरूपीचन्द श्री लक्ष्मणराव पुत्र श्री विरूपीचन्द, श्री बुद्धिप्रकाश पुत्र श्री धन्या लाल, श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रमोदलाल, श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रमोदलाल, श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री धन्यालाल जरिये मुझाम श्री बुद्धिप्रकाश पुत्र श्री धन्यालाल
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 100 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम बाटिका तहसील सांगानेर के ख.नं. 6194 रकबा 0.11 हैक्टर सम्पूर्ण, ख.नं. 6195 रकबा 0.11 हैक्टर में से 0.0724 हैक्टर, ख.नं. 6197 रकबा 1.07 हैक्टर में से 1.0345 हैक्टर, ख.नं. 6198 रकबा 0.22 हैक्टर में से 0.0370 हैक्टर, ख.नं. 6202 रकबा 0.35 हैक्टर में से 0.2115 हैक्टर, ख.नं. 6214 रकबा 0.23 हैक्टर में से 0.1738 हैक्टर, ख.नं. 6215 रकबा 0.20 हैक्टर सम्पूर्ण, ख.नं. 6216 रकबा 0.18 हैक्टर में से 0.1638 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 2.4700 हैक्टर में से 2.0030 हैक्टर अर्थात् 20030.00 वर्ग मी. भूमि के खातेदार श्री गंवरलाल पुत्र लाला जाति वैराग निवासी ग्राम बाटिका तहसील सांगानेर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत सम्पन्न करने हेतु राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, सम्पन्ननामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्पत्ति भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्वयं / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजों आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।				
सचिव				